भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4701
24 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

सीमा सड़क संगठन

4701. श्री निहाल चन्द चौहान:

क्या. रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा सड़कों के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा कितनी निधि मंजूर की गई है;

(ख) देश के विभिन्न हिस्सों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा सड़कों के रखरखाव के सम्बन्ध में सरकार के क्या दिशानिर्देश हैं;

(ग) क्या सीमा सड़क संगठन राजस्थान सहित देश के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए किसी परियोजना पर काम कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क): पिछले दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा सड़कों के रखरखाव के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अनुमोदित निधि निम्नानुसार है:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20
	आवंटित निधि (रू. करोड़ में)	आवंटित निधि (रू. करोड़ में)
जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	148.68	150.38
लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	107.35	126.94
राजस्थान	50.59	64.93
पंजाब	26.67	27.65
हिमाचल प्रदेश	50.59	59.79
उत्तराखण्ड	35.21	47.35
नागालैंड	22.70	28.60
मणिपुर	19.06	25.02
मिज़ोरम	15.67	23.85
सिक्किम	36.74	35.08
अरूणाचल प्रदेश	110.92	150.21
कुल	**624.18**	**739.80**

(ख): बीआरओ द्वारा सड़कों के रखरखाव के लिए दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:-

एक बार सड़क निर्माण का कार्य पूरा होने के पश्चात परिसम्पत्तियों के संरक्षण, ईष्टतम उपयोग और ट्रैफिक सुरक्षा के लिए बीआरओ द्वारा नियमित रखरखाव किया जाना अपेक्षित होता है। रखरखाव दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाने वाले कुछ कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:-

(i) नियमित/नेमी रखरखाव: इसमें ट्रैफिक के लिए सड़क को खुला रखने के लिए पोट हॉल्स, जंगल साफ करने, ड्रेन साफ करने, क्रास ड्रेनेज की सफाई, मुंडेर की दीवारों की मरम्मत, दीवारों और ब्रेस्ट वॉल को बनाए रखना, बर्म फिलिंग और स्लाइड सफाई करना शामिल है।

(ii) विशेष मरम्मत: इस मरम्मत में सड़क निर्माण और क्रोस ड्रेनेज निर्माण कार्य की क्षति को पुन: ठीक करना शामिल है। विशेष मरम्मत के कार्य को निर्माण कार्यों की संस्वीकृति, जब कभी/जो भी आवश्यक हो, की प्राप्ति के पश्चात किया जाता है।

(iii) आकस्मिक मरम्मत: यह कार्य मरम्मत में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बाधित हुई संचार लाइनों को पुन: ठीक करने और सार्वजनिक सम्पत्ति को हुई हानि/क्षति को रोकने के लिए किए गए कार्य शामिल हैं।

(iv) सरफेसिंग का नवीनीकरण: यह कार्य सरफेस कोर्स के नवीनीकरण के लिए समय चक्र और विशिष्टताओं के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है।

(ग) एवं (घ): सीमा सड़क संगठन राजस्थान सहित देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर सड़क सम्पर्कता प्रदान करने के लिए 14071.54 कि.मी. लम्बे मार्गों हेतु 272 सड़क परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। इन 272 सड़कों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.स.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**संख्या**	**लम्बाई (कि.मी.) में**
i	अरूणाचल प्रदेश	64	3238.89
ii	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	43	3102.95
iii	उत्तराखण्ड	24	936.55
iv	सिक्किम	21	625.66
v	पश्चिम बंगाल	03	64.2
vi	हिमाचल प्रदेश	07	567.64
vii	जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	61	2270.06
viii	मिज़ोरम	08	589.63
ix	अण्डमान और निकोबार	01	23.94
x	मणिपुर	09	520.61
xi	नागालैंड	02	251.25
xii	राजस्थान	23	1630.04
xiii	पंजाब	06	250.13
	कुल	**272**	**14071.54**

*****